

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्था0/अलवर/वी-10/2018/

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2(सीधी भर्ती-2013)/2016/60 दिनांक 10.02.2016 के द्वारा निम्न का नर्स-2 के पद पर चयन कर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्तियों प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से स्थाई/नियमित करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गयी तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स-2 के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल 11 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	कृष्णा बाई यादव	अलवर	01.07.80	20.04.16	19.04.18	20.04.18
2	संगीता यादव	अलवर	05.04.85	11.02.16	10.02.18	11.02.18
3	मिन्दूलता यादव	अलवर	10.09.88	20.04.16	19.04.18	20.04.18
4	रजनीकान्त शर्मा	अलवर	14.05.77	10.08.16	09.08.18	10.08.18
5	संदीप मान	अलवर	01.07.88	16.03.16	15.03.18	16.03.18
6	अनिता यादव	अलवर	01.04.86	23.02.16	22.02.18	23.02.18
7	राजेन्द्र सिंह	अलवर	15.06.79	11.02.16	10.02.18	11.02.18
8	सुनील कुमार	अलवर	20.07.84	15.02.16	14.02.18	15.02.18
9	मुकेश कुमार	अलवर	19.09.81	08.03.16	07.03.18	08.03.18
10	मन्जू कुमारी	अलवर	16.05.81	06.04.16	05.04.18	06.04.18
11	सुनीता कुमारी	अलवर	05.08.84	11.02.16	10.02.18	11.02.18
12	मंजूबाला यादव	अलवर	02.07.86	11.02.16	10.02.18	11.02.18
13	बबली मीणा	अलवर	01.02.89	29.03.16	30.04.18	01.05.18



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ


राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 28-11-2018

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्था0/अलवर/वी-10/2018/1626

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर।
2. अधीक्षक, केन्द्र कारागृह, अलवर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
4. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर